न्यायालय वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, एक सदस्यीय पीठ, हल्द्वानी।

उपस्थितः राकेश वर्मा, ...सदस्य।

द्वितीय अपील संख्या : 101/2025 (वर्ष 2016–17) धारा–25(7) के अन्तर्गत।

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।
बनाम
सर्वश्री ए0एल0पी0 प्लास्टिक प्रा0लि0, रूद्रपुर ।

विभाग की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला,......................डि0कमि0 एवं राज्य प्रतिनिधि वा0कर।
व्यापारी की ओर से :श्री डी0 पी0 यादव,..फर्मअधिवक्ता।

–::निर्णय::–

<u>राकेश वर्मा, सदस्य</u>

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी (जिसे आगे 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या –585/2021 वर्ष 2016–17 मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–25(7) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 06–05–2025 के विरूद्ध इस अधिकरण में दिनांक 28–08–2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी। प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू0 1,81,781/–निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री ए0एल0पी0 प्लास्टिक प्रा0 लि0, रूद्रपुर (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा)। व्यापारी प्लास्टिक पेन्ट निर्माण/बिक्री का है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25–01–2021 को मूल्यवर्धित कर अधिनिम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए स्वनिर्मित प्लास्टिक पेन्ट रू0 9133400.00 की बिक्री पर 14.5 प्रतिशत की दर से रू0 1324343.00 व स्वनिर्मित प्लास्टिक पेन्ट (प्रपत्र 11 के विरूद्ध) रू0 60449.00 की बिक्री पर 3 प्रतिशत की दर से रू0 1813.00 कुल रू0 1326156.00 कर आरोपित करते हुए, अधिक जमा कर/आई0टी0सी0 रू0 1020.00 केन्द्रीय आदेश हेतु अग्रसारित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

3. उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 25–01–2025 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08–05–2025 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है। प्रथम अपीलीय प्रधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है– *"प्रश्नगत मामलें में अपीलकर्ता द्वारा अपील मैमों में उठाए गए बिन्दओं, सुनवाई के समय दिए गये तर्को एवं तथ्यों पर विचार किया गया तथा कर*

ह0/9.2.26
(राकेश वर्मा)

निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया एवं तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया, जिसमें पाया गया कि अपीलकर्ता व्यापारी

फार्म–11 से माल खरीदने के लिए पात्र नहीं थे, जिस कारण फार्म–11 जारी नहीं किये गये एवं विक्रेता व्यापारी के द्वारा पूर्ण दर से कर का डेबिट नोट देकर रू0 181781.00 मूल राशि ब्याज रू0 50471.00 इस प्रकार कुल रू0 232252.00 का डेबिट नोट जारी किया गया। सर्वश्री ए0पी0एल0 ओवरसीज द्वारा चालान संख्या– 67 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा राजकोष में जमा करा दिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा उक्त चालान, डेबिट नोट तथा इन्हे कार्यालय में जमा करने की रसीद की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत डेबिट नोट व चालान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रेता व्यापारी द्वारा डिफरेन्स ऑफ टैक्स अपीलकर्ता से लिया गया है तथा उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कर दिया गया है, जिसका लाभ (रू0 181781.00) आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य बनता है। अतः उपरोक्त की गयी विवेचना, वाद के समस्त तथ्यों परिस्थितियों तथा विधिक प्रावधानों पर विचारोपरान्त मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत पारित मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2021 के पृष्ठ 5 पर अंकित अंतिम पैरा में रू0 181781.00 की आई0टी0सी0 का लाभ अपील स्तर से निम्न प्रकार प्रदान किया जाता है:–मूलकर निर्धारण आदेशानुसार व्यापारी रू0 1326156.00 कर आरोपित किया गया है तथा क0नि0 अधिकारी द्वारा आई0टी0सी0 एवं जमा रू0 1327176.00 का लाभ दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अपीलस्तर पर उपरोक्त की गयी विवेचना के अनुसार रू0 181781.00 की आई0टी0सी0 देय है। इसके अतिरिक्त अपीलस्तर पर विवादग्रस्त कर का 20 प्रतिशत अर्थात् रू0 53995.00 चालान द्वारा जमा किया गया है। इस प्रकार कुल जमा एवं आई0टी0सी0 रू0 1562952.00 का लाभ आरोपित कर के विरूद्ध देने के उपरान्त रू0 236796.00 अधिक जमा आता है। करनिर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है:–

i. *यह कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–05–2025 विधिक एवं न्यायोचित नहीं है।*

ii. *यह कि करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–01–2021 के पेज न0–02 के पैरा–1 में उल्लेख किया है कि– " दाखिल सूची का मिलान बिल बीजको से करने पर पाया गया, व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष हेतु दावाकृत आई0टी0सी0 का सत्यापन क्रय बीजकों से किया गया। सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ब्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में सर्वश्री ए0एल0पी0 ओवरसीज प्रा0लि0, रूद्रपुर टिन– 05007838886 से रियायती दर (03 प्रति0)से क्रय किया गया है, परन्तु क्रेता व्यौहारी द्वारा संदत्तदर 3 प्रति0 से अधिक अर्थात् 14.5 प्रति0 की दर से प्रश्नगत क्रय पर आई0टी0सी0 का दावा किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिवक्ता फर्म द्वारा बताया गया कि क्योंकि पंजीकृत व्यौहारी द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र धारित नहीं किया गया हैं तद्नुसार विक्रेता को प्रारूप–XI जारी नहीं कर सकें, परिणाम स्वरूप आगामी समय से विक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को की गयी बिक्री पर पूर्णदर से कर जमा किया गया है, जिसके*

ह0/9.2.26
(राकेश वर्मा)

परिप्रेक्ष्य में व्यौहारी द्वारा 14.5 प्रति0 की दर से आई0टी0सी0 का दावा किया गया है।''

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के ऑनलाईन दाखिल प्रपत्रों एवं वाद की सुनवाई के समय दाखिल प्रपत्रों में क्लेम्ड आई0टी0सी0 से भिनन्ता होने के कारण व्यापारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया। दिये गये कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में व्यापारी द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर अस्वीकार किया गया है–

प्रश्नगत मामले में पंजीकृत व्यापारी ए0एल0पी0 प्लास्टिक प्रा0लि0, रूद्रपुर द्वारा प्रस्तुत क्रय–बीजकों के अवलोकन पर यह स्पष्ट होता हैं कि क्रेता द्वारा प्रश्नगत क्रय पर 03 प्रतिशत की दर से कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में धारा– (6) की उपधारा– (9) के Clause (a) में यद्यपि दूसरे सन्दर्भ में परन्तु किये प्रावधान को एक दृष्टि में पढ़नें पर यह परिलक्षित होता है कि आई0टी0सी0 जितना क्रय बीजक में दिया गया है, उतना ही क्रेडिट परिणामस्वरूप प्राप्त होगा।

इसी प्रकार Section -6 sub section (6) के अन्तर्गत वर्णित है।"*In other cases I.T.C shall be claimed in the return of tax period in which purchase of goods to which such input tax credit relates, have been made.*" व्यापारी ने अपने आनॅलाइन दाखिल प्रपत्रों में Input tax credit का लाभ 03 प्रतिशत की दर से दावा किया गया है। अतः नियमानुार व्यापारी को उक्त दर से ही Input tax credit का लाभ अनुमन्य होगा।

इसी प्रकार Section -6 sub section (11) कहता है । "*Every dealer liable to returns under Section 23 shall, after the end of the assessment year, file, within 90 days, a statement showing his admitted tax liability and the amount of input tax credit for the assessment year after calculating the adjustment, if any, made between different tax periods during the relevant assessment year and also the amount if any, adjusted towards outstanding tax, penalty and interest dues.*"

iii. यह भी विचारणीय है कि व्यौहारी द्वारा मान्यता प्रमाण–पत्र धारक नहीं होने के बावजूद भी 03 प्रतिशत की रियायती दर पर माल क्रय किया गया है। साथ ही व्यौहारी द्वारा आई0टी0सी0 का दावा भी अपने ऑनलाइन दाखिल में 3 प्रतिशत की दर से किया गया है।व्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखि लकरने की अन्तिम तिथि तक भी प्रश्नगत क्रय पर 3 प्रतिशत की दर से ही आई0टी0सी0 करदावाकियागयाहै। ऐसे से व्यौहारी द्वारा कर–निर्धारण के समय प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में 14.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 का दावा करना नियमानुसार उचित नहीं है।

iv. उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों के आलोक में प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि माननीय संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी द्वारा वर्ष 2016–17 आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के निर्णय दिनांक 06–05–2025 को पूर्णतः निरस्त करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परित आदेश दिनांक 25–01–2021 को बहाल करने की कृपा करें।

ह0 / 9.2.26
(राकेश वर्मा)

5. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अनुचित बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री डी0पी0यादव, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख एवंपत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्रश्नगत वाद के संदर्भ में केवल यह विचारणीय है कि क्या व्यौहारी को मूल करनिर्धारण के समय करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत डेबिटनोट संख्या–ALP/ACCTS /FEB.19/01/18-19 दिनांक 25.02.2019 मूल्य रू. 232252.00 के आधार पर दावाकृत आई0टी0सी0 रू. 1,81,781.00 का लाभ देय है अथवा नहीं?**

7. प्रश्नगतवाद के तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी फार्म–11 से माल खरीदने के लिए पात्र नहीं थे, जिस कारण फार्म–11 जारी नहीं किये गये एवं विक्रेता व्यापारी के द्वारा पूर्ण दर से कर का डेबिटनोट देकर रू0 1,81,781.00 मूल राशि ब्याज रू0 50,471.00 इस प्रकार कुल रू0 2,32,252.00 का डेबिटनोट जारी किया गया। विकेता व्यौहारी सर्वश्री ए0पी0एल0 ओवरसीज द्वारा चालान संख्या–67 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा उक्त कर की धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया गया है। इस आधार पर केता द्वारा अपने वार्षिक विवरणी/प्रारूप–4 में उक्त रू. 181781.00 का आई0टी0सी0 क्लेम करते हुए उपभोग किया गया है। प्रश्नगत वाद के सम्बन्ध में मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–6(15) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है:–

Section 6(15) of the VAT Act, 2005

Credit notes and Debit notes:

(a) Where a Sale invoice has been issued and the amount shown as tax charged in the Sale invoice exceeds the tax payable under this Act in respect of that sale, the registered dealer making the sale shall provide the purchaser with a credit note to this effect.

(b) Where the Sale invoice has been issued and the tax payable under this Act in respect of the sales exceeds the amount of tax charged in that Sale invoice the registered dealer making the sale shall provide the purchaser with a debit note to this effect.

(c) In case of goods returned or rejected by the purchaser, a credit note to this effect shall be issued by the selling dealer to the purchaser and a debit note will be issued by the purchaser to the selling dealer.

ह0/9.2.26
(राकेश वर्मा)

8. उक्त मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–6(15) के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहाँ बिक्री बीजक जारी किया गया है और उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर बिक्री बीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक निकलता है, तो विक्रय करने वाला पंजीकृत व्यौहारी केता को इस आशय का एक डेबिटनोट जारी करेगा। अतः केवल मासिक/त्रैमासिक रिटर्न में उक्त डेबिटनोट से सम्बन्धित आई0टी0सी0 का दावा न करने के आधार पर दावाकृत आई0टी0सी0 का अस्वीकार किया जाना उचित नहीं है, जबकि व्यौहारी द्वारा प्रश्नगत् आई0टी0सी0 का दावा विधिवत् रूप से वार्षिक विवरणी में किया गया है।

अतः केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण व्यौहारी द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 को अस्वीकार किया जाना सम्यक नहीं है। **स्पष्टतः व्यापारी द्वारा उसी जमा कर का आई0टी0सी0 का लाभ लिया जा रहा है, जो कर राजकीय कोषागार में पूर्व में जमा है।** इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रश्नगत् आई0टी0सी0 का लाभ व्यौहारी का अनुमन्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

9. उपरोक्त प्रस्तरों में की गयी विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी गयी है।

–:: आदेश ::–

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 101/2025 (वर्ष 2016–17) धारा 25(7) अस्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

ह0/09.2.26
(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य करअपीलअधिकरण,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानीपीठ।

दिनांकः–09.02.2026

ह0/9.2.26
(राकेश वर्मा)

द्वि0अ0स0–101/2025